National Lok Adalat held on 11th December, 2021 for (Pre-Litigation & Pending matters)

A National Lok Adalat for Pre-Litigation & Pending matters was organized today on **11th December, 2021** under the patronage of **Patron-in-Chief Hon'ble Mr. Justice Mohammad Rafiq**, **Chief Justice**, High Court of Himachal Pradesh and under the able and innovative guidance of **Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge,** High Court of Himachal Pradesh and **Executive Chairperson**, **Himachal Pradesh State Legal Services Authority** in all the Courts in the State of Himachal Pradesh.

Hon'ble Smt. Justice Sabina, Executive Chairperson, H.P State Legal Services Authority during video conferencing with District Judges, Judicial Officers and Secretaries, District Legal Services Authorities held on 29th November, 2021 had emphatically impressed upon all the District Judges and Judicial Officers to identify sufficient number of cases for Lok Adalat and take pro-active part in the settlement of cases referred with active involvement of Bar Members to enhance disposal of cases in the Lok Adalat and emphasized to have an positive attitude in pursing the parties for amicable settlement vis-a-vis to secure larger participation of the Bar Members in the settlement of cases before Lok Adalat.

It was also emphasized by Hon'ble Executive Chairperson during video conferencing that maximum Pre-Lok Adalat/Pre-Conciliation Sittings be held to provide opportunities for negotiation to the parties to arrive at a compromise or settlement. All the Judicial Officers were impressed upon to lay special emphasis on identification of old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters etc.

The Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson, H.P. State Legal Services Authority personally supervised the functioning of ongoing Lok Adalat at District Court Shimla, District Court, Solan and Sub Divisional Court, Kandaghat.

The detail of Cases

	Pre-Litigation	Post-Litigation	Total
Cases Taken-up	15,598	10551	26149
Cases Settled	5298	5495	10793
Disposal Rate	33.96%	52.08%	41.28%
Settlement Amount:	₹ 59,31,97,763		

The Hon'ble Smt. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh and Executive Chairperson, H.P. State Legal Services Authority supervising the functioning of ongoing Lok Adalat at District Court Shimla and District Court, Solan.

The Sunday Tribune
CHANDIGARH | SUNDAY | 12 DECEMBER 2021

25K cases come up for hearing at Lok Adalat

LEGAL CORESPONDENT

SHIMLA, DECEMBER 11

As many as 25,836 cases were taken up for hearing at the National Lok Adalat, out of which 10,635 cases were settled/disposed of till evening.

This was stated by Prem Pal Ranta, Member Secretary, Himachal Pradesh State Legal Services Authority (HPSLSA). A National Lok Adalat for pre-litigation and pending matters was organised on Saturday under the guidance of Chief Justice Mohammad Rafiq, patron-in-chief of HPSLSA, and Justice Sabina, the executive chairperson of the HPSLSA, in all courts of the state.

Justice Sabina supervised the functioning of the Lok Adalat at the District Court, Shimla, the District Court, Solan and at the Sub Divisional Court in Kandaghat.

6149 Cases came up in National Lok Adalat, Rs 58.31crore worth claims awarded in 10777 Cases in HP

Category: Breaking News Published: 11 December 2021 Hits: 85

Author: HimbuMail Service

SHIMLA: December 11

As many as 26149 cases were taken up in the National Lok Adalat before different benches for settlement, out of which about 10,777 cases were settled and disposed off across the state. The judges recovered/ awarded a sum of worth ₹ 58. 31 crore to the claimants across the state.

National Lok Adalat for pre-litigation and pending matters was organized today under the patronage of **Patron-in-Chief, Mr. Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice**, High Court of Himachal Pradesh and under the innovative guidance of Ms. Justice Sabina, Judge, High Court of Himachal Pradesh, who is also **Executive Chairperson, Himachal Pradesh State Legal Services Authority(HPSLA)** in all the courts in Himachal Pradesh.

Ms. Justice Sabina personally supervised the functioning of ongoing Lok Adalat at district court Shimla, district court, Solan and sub-divisional Court, Kandaghat.

Due to innovative initiatives taken by Ms. Justice Sabina, the response to the national Lok Aadals today was overwhelming. As many as **26149** cases were taken up in the National Lok Adalat before different benches for settlement, out of which about 10777 cases were settled and disposed off across the state. The judges recovered/ awarded a sum of worth **₹ 58,3161371 to the claimants in these cases in the state,** said a HPSLA official.

To ensure proactive participation of all stakeholders across the state, Ms. Justice Sabina had chaired a video conferencing with district Judges, Judicial Officers and secretaries, district legal services authorities held on 29th November, 2021.

She had directed the district judges and judicial officers to identify sufficient number of cases for Lok Adalat and take pro-active part in the settlement of cases referred with active involvement of Bar members.

Ms. Justice Sabina had ensured that they should enhance disposal of cases in the Lok Adalat and emphasizing on an positive attitude in pursing the parties for amicable settlement securing larger participation of the Bar members in the settlement of cases before Lok Adalat.

Ms Justice Sabina had also emphasized that maximum pre-Lok Adalat or pre-Conciliation sittings be held to provide opportunities for negotiation to the parties to arrive at a compromise or settlement. **"All the judicial officers were impressed upon to lay special emphasis on identification of old cases, motor accident claim cases, matrimonial cases, insurance matters, labour court matters, criminal compoundable matters", she had asked.**

Member secretary, HPSLA Prempal Ranta said the schedule of the National Lok Adalats for the year 2022 has been circulated to all district and sub-divisional legal services authorities for wide publicity through media to all stakeholders, panchayati raj institutions, functionaries of legal services institutions, PLVs, ASHA workers, Anganwari workers in order to secure the larger participation of litigant public in the upcoming National Lok Adalats for providing quick and timely justice to the litigants.

The schedule of the National Lok Adalats for the year 2022 see chart below)

1st National Lok Adalat	12th March, 2022
2nd National Lok Adalat	14th May, 2022
3rd National Lok Adalat	13th August, 2022
4th National Lok Adalat	12th November, 2022

हिमाचल सवेरा

लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों में लगी लोक अदालत

● मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए बार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी: न्यायमूर्ति

शिमला, 11 दिसंबर(ब्यूरो): लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालतों का आयोजन न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया।

न्यायमूर्ति सबीना कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 29 नवंबर को जिला न्यायाधीशों ए न्यायिक अधिकारियों और सचिवों ए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने एवं बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा लोक अदालत में मामलों के निपटारे को बड़ाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यकारी अध्यक्ष ने लोक अदालत के माध्यम से मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए बार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाने पर जोर दिया । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकतम पूर्व लोक अदालत ध् पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन किया जाए तथा सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम अदालत के मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया। माननीय न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला शिमला, जिला न्यायालय सोलन तथा उपमंडल न्यायालय कंडाघाट में चल रही लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया तथा वहां मौजूद पक्षकारों से बातचीत भी की। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में 25836 मामलों को आपसी सुलह समझौते के लिया गया जिनमें से लगभग 9000 मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते से किया गया तथा लगभग छब्बीस करोड़ केवल का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सांय 4.30 बजे तक दिलाया गया। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, हितधारकों, पीआरआई, विधिक सेवा संस्थानों के पदाधिकारियों, पीएलवी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए तथा वादियों को त्वरित और समय पर न्याय प्रदान करने तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालतों में वादी जनता की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ए सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उप मंडल विधिक सेवा समतियों के साथ साझा किया गया है।

लोक अदालत में जानकारी देती न्यानमूर्ति सबीना व अन्य।

शिमला
रविवार, 12 दिसंबर, 2021
27 मार्गशीर्ष, 2078
वर्ष 18, अंक 349
पृष्ठ 10+4 ₹ 5.00

epaper.divyahimachal.com
देवभूमि का अग्रणी समाचारपत्र
दिव्य हिमाचल

राष्ट्रीय लोक अदालत में 9000 मामलों का निपटारा

प्री-लिटिगेशन और लंबित केसों में आपसी सुलह-समझौते के लिए रखे थे 25836 मामले, फरियादियों को मुआवजा

स्टाफ रिपोर्टर – शिमला

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए प्रदेश में शनिवार को न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति सबीना न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सबीना, कार्यकारी

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 29 नवंबर को जिला न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने एवं बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा लोक अदालत मे मामलों के निपटारे को बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकतम पूर्व-लोक अदालत/पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाए तथा सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम अदालत के मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया। न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला न्यायालय शिमला, जिला न्यायालय सोलन तथा उपमंडल न्यायालय कंडाघाट में चल रही लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया तथा वहां मौजूद पक्षकारों से बातचीत भी की। राष्ट्रीय लोक अदालत में 25836 मामलों को आपसी सुलह-समझौते के लिया गया, जिनमें से लगभग 9000 मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते से किया गया तथा लगभग मु0 26,00,000,00/- (छबीस करोड़) का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सायं 4:30 बजे तक दिलाया गया। 2022 में आयोजित होगी चार राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने बताया वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हितधारकों, पीआरआई, विधिक सेवा संस्थानों के पदाधिकारियों, पीएलवी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए तथा वादियों को त्वरित और समय पर न्याय प्रदान करने तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालतों में वादी जनता की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं उप-मण्डल विधिक सेवा समतियों के साथ साझा किया गया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का कार्यक्रम प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022, द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई, तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त, चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर, 2022 तक कार्यक्रम हैं।

आपका फैसला
शिमला, रविवार, 12 दिसंबर, 2021

लोक अदालतों में मामलों के निपटारों को बढ़ाने के लिए भूमिका अदा करने के लिए किया प्रोत्साहित

शिमला,(आपका फैसला)। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेश में न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्ग़दर्शन मे हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति सबीना, कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 29 नवंबर, 2021 को जिला न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और सचिवों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान सभी जिला न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने एवं बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा लोक अदालत में मामलों के निपटारे को बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यकारी अध्यक्ष ने लोक अदालत के माध्यम से मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए बार सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक रवैया अपनाने पर ज़ोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकतम पूर्व-लोक अदालत/पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाए तथा सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम अदालत के मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया।

www. himachaldastak.com

शिमला, रविवार 12 दिसंबर, 2021

2 हिमाचल दस्तक

लोक अदालत में निपटाए 9 हजार मामले

पक्षकारों को दिलवाया 26 करोड़ का मुआवजा

हिमाचल दस्तक। शिमला

प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेश में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक मुख्य न्यायाधीश हिमाचल हाईकोर्ट एवं मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 हजार 836 मामले आपसी सुलह-समझौते के लिए आए थे। इनमें से करीब 9 हजार मामलों का निपटारा आपसी सुलह व समझौते से किया गया। इस दौरान करीब 26 करोड़ का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सांय 4-30 बजे तक दिलाया गया। वीडियो

● कुल 25 हजार 836 मामले लगे थे राष्ट्रीय लोक अदालत में

कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए अधिकतम पूर्व-लोक अदालत/पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम अदालत के मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए प्रेरित किया। न्यायमूर्ति सबीना ने जिला न्यायालय शिमला, जिला न्यायालय सोलन तथा उपमंडल न्यायालय कंडाघाट में चल रही लोक अदालत के कामकाज का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण किया तथा वहाँ मौजूद पक्षकारों से बातचीत भी की।

2022 में राष्ट्रीय लोक अदालत का शेड्यूल जारी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि प्रदेश में 2022 में होने वाली चार राष्ट्रीय लोक अदालत का शेड्यूल जारी किया गया है। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022 को तय की गई है। दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई, तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त, चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर, 2022 को आयोजित की जाएगी।

4 दैनिक जागरण चंडीगढ़, 12 दिसंबर, 2021

लोक अदालतों में आपसी समझौते से निपटाए नौ हजार मामले

जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश में शनिवार को न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में इनका आयोजन किया। इस दौरान 25836 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें से करीब 9000 मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया गया व करीब 26,00,000,00 रुपये का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से शाम तक दिलाया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति सबीना ने 29 नवंबर को जिला न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और सचिवों सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान लोक अदालत के लिए पर्याप्त संख्या में मामलों की पहचान करने एवं बार सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से मामलों के निपटारे के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सभी पक्षों को आपसी समझौता करने के लिए बातचीत के अवसर प्रदान करने के लिए पूर्व लोक अदालत, समझौता बैठकों का आयोजन किया जाए।

ही है, कांग्रेस केवल एक
ंग्रेस के हर ज़िले से एक
के 3 विधायक इस समय

दैनिक उत्तम हिन्दू

दिल्ली, रविवार 12 दिसंबर, 2021 | 9

सोलन के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित

प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना विशेष रूप से रहीं उपस्थित

सोलन/प्रताप भारद्वाज

सोलन जिला के सभी न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सोलन अंशु चौधरी ने दी। अंशु चौधरी ने कहा कि आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में नालागढ़, कसौली, अर्की, कण्डाघाट तथा सोलन में 13 लोक अदालत बैचों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में राष्ट्रीय लोक अदालत की विभिन्न बैचों के समक्ष कुल 2773 मामले सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। इनमें से 2140 मामले विभिन्न पक्षों की आपसी सहमत से सुलझाए गए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कुल समझौता राशि 03 करोड़ 93 लाख 41 हजार 931 रुपए रही।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने कहा कि इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना ने जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही का अवलोकन किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रान्टा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

उन्होंने कहा कि इन लोक अदालतों का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन वीरेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में किया गया।

शिमला: लोक अदालत में 9000 मामलों का किया निपटारा

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 11 Dec 2021 11:20 PM IST

सार

प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि लोक अदालत में लगभग 9000 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया और लगभग छब्बीस करोड़ रुपए का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया।

लोक अदालत(सांकेतिक)

विस्तार

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 25836 मामलों को आपसी सुलह और समझौते के लाया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा कहा कि इनमें से लगभग 9000 मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते से किया और लगभग छब्बीस करोड़ रुपए का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया।

वर्ष 2022 के लिए लोक अदालतों के आयोजन की तारीख तय

प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च, 2022
द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई, 2022
तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त, 2022
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022